कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय

पांचवी मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

दूरभाष: 0755-2551698, 2551574; ई-मेल: compcellhedu@mp.gov.in, hegaz@mp.gov.in

क्रमांक: 1848/322 आउशि/शाखा-2/2017 भोपाल, दिनांक: 3../08/2017

अतिथि विद्वानों के आमंत्रण की सूचना/विज्ञापन

प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि विद्वानों द्वारा आमंत्रण के आधार पर व्याख्यान व्यवस्था हेतु केन्द्रीयकृत ऑनलाइन आवेदन-पत्र महाविद्यालयों की जनभागीदारी समितियों के सचिव की ओर से **दिनांक 04.08.2017 से दिनांक 22.09.2017 तक** आमंत्रित किये जाते हैं।

(1) **ऑनलाइन आवेदन कैसे प्रस्तुत करें:** ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की लिंक तथा प्रक्रिया की जानकारी विभागीय वेबसाइट **www.highereducation.mp.gov.in** पर उपलब्ध रहेगी | (ऑनलाईन आवेदन पोर्टल **www.mphighereducation.nic.in** के माध्यम से होंगे)।

(2) **पंजीयन प्रक्रिया, आवेदन पत्रों की जांच एवं प्रमाणीकरण:** नवीन व्यवस्था के अंतर्गत इच्छुक आवेदकों को अपना पंजीयन किसी एक शैक्षणिक संभाग के लिए करना अनिवार्य होगा | पंजीयन के समय आवेदक को अपने सभी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करना होंगे | दो या दो से अधिक विषयों में पात्रता रखने वाले आवेदक भी, किसी एक ही संभाग हेतु अपना पंजीयन कर सकेंगे | पंजीकृत आवेदकों की **"प्रावधिक मेरिट सूची"** पोर्टल पर प्रकाशित की जावेगी, तथा आवेदकों के दस्तावेज जनसाधारण हेतु अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेंगे | प्रावधिक प्रकाशित मेरिट सूची पर आपत्तियाँ आमंत्रित की जावेंगी | आवेदक, जिनके विरूद्ध आपत्तियाँ प्रथमदृष्टया मान्य होंगी, केवल उन्ही आवेदकों को सम्बंधित जिले के अग्रणी महाविद्यालय से अपने दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्यता कराना होगा, ताकि उन्हें आपत्ति निराकरण का अवसर प्राप्त हो सके | इसके उपरान्त **अंतिम मेरिट सूची** का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट/वेब-पोर्टल पर किया जावेगा तथा यह सूची सम्पूर्ण सत्र के लिए मान्य रहेगी |

(3) **आमन्त्रण हेतु मापदण्ड:** न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता, मापदण्ड, अधिभार, श्रेणी की वरीयता का क्रम, अनुभव के अंक, आरक्षित वर्ग को अधिभार, इत्यादि का निर्धारण मार्गदर्शी सिद्धांत की मूल कण्डिका-3 एवं उसकी उपकण्डिकाओं के परिपालन में किया जावेगा |

(4) **महाविद्यालयों की वरीयता वरीयताएं एवं आवंटन प्रक्रिया:** (अ) आमंत्रण की प्रक्रिया तीन चरणों में संपन्न की जावेगी | प्रत्येक चरण हेतु पंजीकृत आवेदकों को महाविद्यालयों की वरीयताएं निर्धारित समयावधि में पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करना होंगी | किसी विषय में उपलब्ध रिक्तियों की अधिकतम संख्या अनुरूप ही महाविद्यालयों के विकल्प उपलब्ध रहेंगे | (ब) आमंत्रण प्रक्रिया पूर्णत: मेरिट एवं आवेदकों द्वारा प्रस्तुत वरीयता के अनुसार ही रहेगी |

अत: आवेदकगण पूर्ण सावधानी के साथ महाविद्यालयों के विकल्प वरीयतानुसार प्रस्तुत करें तथा **अधिकतम उपलब्ध विकल्पों का चयन करें।** किसी भी चरण में प्रथम वरीयता का महाविद्यालय आवंटित होने की स्थिति में आवेदक को आमंत्रण के आधार पर महाविद्यालय में अपनी उपस्थिति **अनिवार्यत: देना होगी, ज्वाइन न करने की स्थिति में उसे अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।**

(5) **रिक्त पदों की जानकारी:** शैक्षणिक संभाग अंतर्गत विषयवार रिक्त पदों की सूची एवं महाविद्यालयवार रिक्त स्थानों की जानकारी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। सम्बंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक कार्यालय अथवा महाविद्यालय से भी यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(6) शासन के आदेश क्रमांक एफ01--67/201 /38-1, भोपाल, दिनांक 29.12.2015 के अनुपालन में **सहविषयों के निर्धारण** को समाप्त करते हुए शैक्षणिक योग्यता में मात्र मूल विज्ञापित विषय में स्नातकोत्तर पात्रता होने पर ही मान्य किया जाएगा।

(7) **अन्य जानकारियां:** मानदेय का निर्धारण, अन्य दिशानिर्देश एवं शर्तें "अतिथि विद्वानों की व्यवस्था" हेतु मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के परिपत्र क्रमांक 969/F1-9/16/38-1 भोपाल दिनांक 08.08.2016 के अनुसार रहेंगी। अतिथि विद्वानों के आमंत्रण प्रक्रिया से सम्बंधित कैलेण्डर संलग्न **परिशिष्ट** अनुसार रहेगा।

(8) अतिथि विद्वान व्यवस्था के मार्गदर्शी सिद्धांत विभागीय वेबसाइट www.highereducation.mp.gov.in पर उपलब्ध है। आवश्यक सहायता, आयुक्त, कार्यालय के आई.टी. सेल में स्थापित दूरभाष क्रमांक 0755-2551698 पर प्राप्त की जा सकती है।

(डॉ.जगदीशचन्द्र जटिया)
अपर संचालक
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश